86

II/निग0/उमरिया/भू-रा0/2018/0096

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

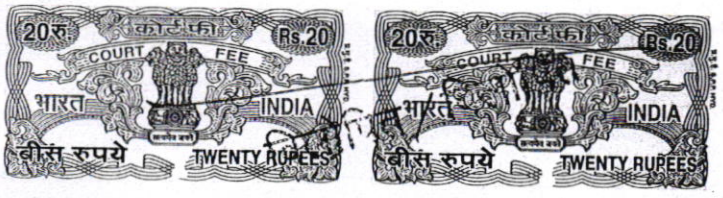

1— महेश कुमार मिश्रा तनय श्री रामनरेश मिश्रा निवासी इन्द्रिरानगर रीवा म0प्र0

2— दीपक कुमार मिश्रा तनय श्री श्री रामनरेश मिश्रा निवासी वार्ड कमांक 14 उमरिया, तह0 बांधवगढ़, जिला उमरिया, म0प्र0

----------निगरानीकर्तागण

बनाम्

1— दिलीप कुमार खट्टर तनय शम्भूलाल खट्टर, निवासी वार्ड कमांक 8, उमरिया, तह0 बांधवगढ़, जिला उमरिया म0प्र0

2— म0प्र0 राज्य द्वारा पटवारी हल्का किरनताल कला—11 नं0 उमरिया, म0प्र0

------गैरनिगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 ई0 विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक उमारिया म0प्र0 प्र0क0 191अ—12/16—17 आदेश दिनाक 25.08.2017 मे पारित

मान्यवर

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुंत है :—

1— राजस्व निरीक्षक उमारिया द्वारा प्र0क0 191अ—12/16—17 में सीमांकन संबंधी की गई कार्यवाही तथा सीमांकन प्रमाणीकरण का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निग/उमरिया/भूरा/2018/0096

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-06-18	आवेदक अभिभाषक श्री मुनेन्द्र मिश्रा के प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक शिवपुरा, तहसील गोपदबनास जिला सीधी के सीमांकन आदेश दिनांक 25.08.17 प्रकरण क. 191/अ12/16–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यो को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लेखित है। आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। आदेश के अवलोकन से स्पश्ट है कि राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उनके द्वारा विधिवत हल्का पटवारी से प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा, फील्ड बुक, नक्शा ट्रेस आदि तैयार किया गया एवं सरहदी कास्तकारों को सूचना दी जाकर सीमांकन की पुष्टि की गई है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह्य की जाती है तथा अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 25.08.17 विधिवत होने से यथावत रखा जाता है। उभय पक्ष को सूचना दी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	